

नियम 91 : अनंतिम प्रतिदाय को प्रदाय करना

- (1) धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार अनंतिम प्रतिदाय इस दशा के अध्याधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है कर तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या ऐसे किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है और जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रूपए से अधिक है।
- (2) समुचित अधिभारी दावों की संविधा के पश्चात और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम और धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक की शोध्य है, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में नियम 90 के उपनियम (1) और (2) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि में अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को शोध्य प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेश करेगा।

¹[परन्तु उचित अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में जारी आदेश को पुनः विधिमाम्य किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी।]

- (3) समुचित अधिकारी उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में ²[संदाय आदेश] जारी करेगा और ³[एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर] उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों के निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय करेगा।

⁴[परन्तु जहां प्रतिदाय का संवितरण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें उक्त ⁵[संदाय आदेश] जारी की गई थी, नहीं किया गया है, वहां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में ⁶[संदाय आदेश] को पुनः विधिमाम्यता की अपेक्षा नहीं होगी।]

- ⁷[(4) केन्द्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित संदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय संवितरित करेगी।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दि. 29.01.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दि. 01.02.2019)।

² अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। यह अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से प्रभावशील किया गया।

³ अधिसूचना क्रमांक 49/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 24.09.2019)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। यह अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से प्रभावशील किया गया।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा "संदाय सूचना" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)। यह अधिसूचना क्रमांक 42/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2019 द्वारा दिनांक 24.09.2019 से प्रभावशील किया गया।

⁷ अधिसूचना क्रमांक 49/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा उपनियम (4) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 24.09.2019)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017
